IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध

विनोद कुमार गुप्ता
शोध छात्र
राजनीति विज्ञान
छत्रपति शहू जी महाराज विश्वविद्यालयए कानपुर

शोध सार-

1947 में भारत जब ब्रिटिश राज्य की गुलामी से आजाद हुआ तो उस की भौगोलिक स्थिति वर्तमान स्थिति से भिन्न थी। भारत कई प्रांतों और देसी रियासतों में बंटा था वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघ वादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंधों से होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है और समस्त शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित है। संविधान में केंद्र एवं राज्य का अपना अपना स्थान हैए किंतु संघीय व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं केंद्र दोनों की अधिकतम सहभागिता आवश्यक है। इस तरह संविधान में केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैए केंद्र और राज्य के बीच कई मुद्दे को लेकर विगत कुछ वर्षों से अनेक विवाद सामने आए हैं। जहां देश की एकता और संप्रभुता के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक हैए वहीं राज्य के विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि उनको कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाए। देश की एकता विकास एवं सुरक्षा के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है वही राज्यों की मांग है कि उनके विकास के लिए उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जाए।

मुख्य शब्द. संघवादए प्रशासनए समवर्ती सूचीए संघ सूचीए राज्य सूची।

प्रस्तावना . भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच तीन तरह से संबंधों का बंटवारा किया गया है।

1. विधायी संबंध।
2. प्रशासनिक संबंध।
3. वित्तीय संबंध।

1ण्विधायी संबंध. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी संबंधों का बंटवारा किया गया है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 243 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के मामले में चार स्थितियां है-

पहला- केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र

दूसरा -विधायी विषयों का बंटवारा

तीसरा -राज्य क्षेत्र के संसदीय विषय

चौथा- राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण।

संसद को भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है इसी तरह राज्य भी अपने किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है किंतु राज्य द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया है

1. **संघ सूची**- इस सूची से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जैसे बैंकिंगएरक्षा एजनगणना विदेशी मामलेए बीमा संचार केंद्र एवं राज्य व्यापार आदि।

2. **राज्य सूची**- इस सूची में शामिल विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जैसे पुलिस कृषि जेल स्थानीय शासन बाजार सार्वजनिक व्यवस्था आदि।

3. **समवर्ती सूची**- इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं जैसे विवाह तलाक जनसंख्या नियंत्रण आदि।

असामान्य परिस्थितियों में संविधान के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची के तहत असाधारण परिस्थितियों में कानून बना सकती हैए जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एराज्य के द्वारा अनुरोध करने परए जब राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए कि संसद को राष्ट्रीय में राज्य सूची के मामले पर कानून बनाना चाहिए एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। संविधान में केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए अपवाद जनक परिस्थितियों में कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है स्पष्ट है कि संविधान में विधायी विषयों के मामले में केंद्र की स्थिति राज्य से अधिक शक्तिशाली है।

2. **प्रशासनिक संबंध**- संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है इसके तहत केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत है जबकि राज्य के कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है।

3. **वित्तीय संबंध**- संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है जबकि राज्य को राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार दिया गया है इसके साथ ही समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर राज्य एवं केंद्र दोनों को ही कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। केंद्र और राज्यों के बीच कर निर्धारण एवं बंटवारे की समस्या के समाधान के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है।

विवेचना और व्याख्या– स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्य के संबंध सामान्य ही रहे क्योंकि केंद्र और अधिकतर राज्यों में उस समय एक ही पार्टी का शासन था 1967 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार कमजोर हुई क्योंकि 9 राज्यों में उसकी हार हुई थी। केंद्र और राज्य के संबंधों में एक नया परिवर्तन आया। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ जिसने केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किए जाने का विरोध किया इन दलों ने राज्यों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए टकराव की स्थिति पैदा हो गई। केंद्र और राज्यों के बीच जिन मुद्दों पर तनाव पैदा हुआ उसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है–

1. राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव।
2. राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी।
3. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती।
4. राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अतिक्रमण।
5. अखिल भारतीय सेवाएं आदि।

केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जैसे 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ए1969 में राजमन्नार समितिए 1983 में सरकारिया आयोगए 2007 में फुंसी आयोग। इन आयोगों के द्वारा केंद्र एवं राज्य के संबंधों में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए जिस पर केंद्र के द्वारा कानून बनाने का प्रयास एवं उस के माध्यम से राज्यों की समस्याओं के निवारण का प्रयास भी किया गया।

तार्किक व्याख्या– भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करते हुए केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है जिसके पीछे यह तर्क दिया गया कि देश की एकता एवं संप्रभुता को तथा विकास के लिए संघ का शक्तिशाली होना आवश्यक है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कह सकते हैं कि हमें एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है किंतु शक्तिशाली केंद्र राज्यों के सहयोग के बिना असंभव है।

नई आर्थिक नीति के बाद यह आवश्यक हो गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर नए सिरे से विचार किया जाए जहां केंद्र का देश की एकता के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक था वहीं राज्य के विकास के लिए राज्यों को भी स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में बदलते परिवेश में यह आवश्यक है कि राज्य की समस्याओं पर विचार किया जाए एवं उनको विभिन्न मुद्दों पर स्वतंत्रता प्रदान की जाए। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि संसद समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बना सकती हैए किंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि राज्यों से उन विषयों पर विचार विमर्श किया जाए। राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को राज्य के साथ विचार विमर्श करते हुए राज्य से बाहर के व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। करो की व्यवस्था के निर्धारण एवं बंटवारे पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। राज्यों का एक प्रमुख शिकायत रही है कि उनका कार्यक्षेत्र अधिक है लेकिन उन्हें कर से प्राप्त होने वाली राशि बहुत कम होती हैए जबकि केंद्र को कर से प्राप्त होने वाली राशि राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

राज्यों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त आय का बंटवारा सही तरीके से किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा होना चाहिए।

राज्यों के कार्यक्षेत्र को देखते हुए उन्हें अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। राज्य सूची के विषय पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें।

निष्कर्ष- आर्थिक और राजनीतिक कारणों से यह माना जाता रहा हैए कि देश की अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए एवं देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र राज्य से अधिक शक्तिशाली हो किंतु वर्तमान में अब इस विचार में सुधार हो रहा है। भुगतान संतुलन और अन्य आर्थिक कारणों से यह साबित हो गया हैए कि देश के विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्र के द्वारा किया जाने वाला निवेश ही पर्याप्त नहीं है। विश्व बाजार में राज्यों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक हो गई है।

संदर्भ-

- प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022
- प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2021
- अमर उजाला दिनांक 2/3/2020
- राजनैतिक चिंतन भारतेन्दु शर्मा 2019